

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक: जवाबदेही और राजनीतिक दुरुपयोग में संतुलन

यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims):** अनुच्छेद 75, संवैधानिक नैतिकता, उचित प्रक्रिया (Due Process),
- **मुख्य परीक्षा (Mains) - जीएस पेपर 2:** भारतीय संविधान, शासन में जवाबदेही, शक्तियों का पृथक्करण, राजनीति का अपराधीकरण।



चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 संसद में पेश किया है। यह विधेयक संघ, राज्य और दिल्ली मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद 75, 164, और 239AA में संशोधन करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक को अब एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है, जिसने मंत्रियों की जवाबदेही, संवैधानिक नैतिकता और इसके राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिमों को लेकर बहस छेड़ दी है।

पृष्ठभूमि

- यह विधेयक राजनीति के अपराधीकरण पर बढ़ती चिंताओं के कारण लाया गया है। एडीआर (ADR) की रिपोर्ट (2024) के अनुसार, 43% सांसदों पर आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 29% पर गंभीर अपराध दर्ज हैं।
- हालाँकि, पब्लिक इंटेरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे को अनिवार्य किया था, लेकिन वह उन्हें अयोग्य ठहराने से पीछे हट गया था। www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806
- यह संशोधन उन मंत्रियों को अनिश्चित काल के लिए पद धारण करने से रोकने का प्रयास करता है जिन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन आलोचकों को इसमें कार्यपालिका के अत्यधिक हस्तक्षेप और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का डर है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- **स्वचालित निष्कासन (Automatic Removal):** एक मंत्री जिसे पाँच वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा हटाया जाना चाहिए।
- **कार्यकारी सलाह तंत्र (Executive Advice Mechanism):** प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को हिरासत के 31वें दिन तक ऐसे मंत्री को हटाने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को सलाह देनी होगी।
- **स्व-इस्तीफा खंड (Self-Resignation Clause):** यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं ऐसी ही स्थितियों में हिरासत में लिए जाते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा वे स्वचालित रूप से पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

विधेयक के पक्ष में तर्क

- **संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना:** मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामले में बताया गया था कि संवैधानिक नैतिकता के लिए शासन में नैतिक आचरण की आवश्यकता होती है, जो गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने से रोकती है।
- **जनता के विश्वास में वृद्धि:** यह विधेयक भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को मज़बूत करता है।
- **सुशासन सुनिश्चित करना:** यह "जेल से शासन" की स्थितियों को रोकता है, कार्यकारी जवाबदेही और संवैधानिक सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करता है।
- **कानूनी कमियों को भरना:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम केवल दोषसिद्धि (conviction) के बाद ही अयोग्य ठहराता है; यह विधेयक गिरफ्तारी या हिरासत की अंतरिम अवधि को संबोधित करके इस अंतर को भरता है।
- **सिविल सेवाओं के साथ समानता:** चूँकि सरकारी कर्मचारियों को 48 घंटे की हिरासत के बाद निलंबित कर दिया जाता है, इसलिए मंत्रियों तक भी इसी तरह के जवाबदेही मानक तार्किक रूप से विस्तारित होने चाहिए।
- **राजनीतिक और नैतिक सुधार:** यह विधेयक राजनीतिक अप-अपराधीकरण को बढ़ावा देता है, सभी दलों पर समान मानक लागू करता है, और न्यायिक जाँच के माध्यम से तुच्छ गिरफ्तारियों की चिंताओं को संतुलित करता है।

चिंताएँ और आलोचना

1. दुरुपयोग और राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का डर

- हालांकि इसका उद्देश्य स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देना है, लेकिन इस प्रावधान का उपयोग प्रेरित गिरफ्तारियों (motivated arrests) के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) ने पाया था कि भारत में लगभग 60% गिरफ्तारियाँ अनावश्यक या अनुचित थीं।
- अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को केवल तभी गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया जब वह अत्यावश्यक हो, लेकिन इसे अवसर अनदेखा किया जाता है।



- पुलिस और ईडी तथा सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिकरण को देखते हुए, यहां तक कि एक साधारण गिरफ्तारी का उपयोग विपक्षी मंत्रियों को हटाने, सरकारों को अस्थिर करने और संघीय संतुलन को कमजोर करने के लिए "कानूनी शॉर्टकट" प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

2. 30 दिन की हिरासत का नियम: एक त्रुटिपूर्ण मापदंड

मंत्रियों को हटाने के लिए प्रस्तावित 30 दिन की हिरासत खंड में कानूनी और व्यावहारिक खामियाँ हैं:

- **(क) डिफॉल्ट बेल (Default Bail) से टकराव:** धारा 167(2) CrPC / धारा 187 BNSS के तहत, 60-90 दिनों के बाद डिफॉल्ट बेल उपलब्ध है। इसलिए, एक मंत्री को 30 दिनों के बाद हटाना उचित प्रक्रिया से पहले दंडित करना है।
- **(ख) नियमित रिमांड एक्सटेंशन:** अदालतें अक्सर न्यायिक हिरासत को 90 दिनों तक बढ़ाती हैं, जिससे 30 दिन मनमाना हो जाता है।
- **(ग) विशेष कानूनों की कठोरता:** PMLA, NDPS और UAPA जैसे कानून जमानत को मुश्किल बनाते हैं, इसलिए केवल आरोप ही हटाने का कारण बन सकता है। उदाहरण: मनीष सिंसोदिया शराब नीति मामले में, PMLA के तहत 17 महीने बाद ही जमानत मिली थी - यह दर्शाता है कि दोषसिद्धि के बिना भी हिरासत कितनी लंबी चल सकती है।

3. निर्दोषता की अवधारणा (Presumption of Innocence) और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन

- यह विधेयक "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष" के कानूनी सिद्धांत का विरोध करता है, क्योंकि यह दोषसिद्धि के बजाय केवल हिरासत पर हटाने को अनिवार्य करता है।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अयोग्यता केवल दोषसिद्धि पर शुरू होती है, गिरफ्तारी पर नहीं।
- इसी तरह, **करतार सिंह (1994)** में, कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निर्दोषता की अवधारणा को एक मानवाधिकार के रूप में दोहराया।
- इसलिए, यह संशोधन सिद्ध दोष के बजाय **संदेह को अपराधी बनाने** का जोखिम उठाता है।



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

4. उपचार में असंगति और संवैधानिक विरोधाभास

विधायकों और मंत्रियों के बीच दोहरा मापदंड मौजूद है:

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के तहत, सांसद/विधायक केवल दोषसिद्धि पर अयोग्य घोषित होते हैं।
- इस विधेयक के तहत, मंत्री केवल गिरफ्तारी पर पद खो देते हैं।
- यह एक **संवैधानिक विरोधाभास** पैदा करता है जहाँ एक दोषी विधायक एक गिरफ्तार मंत्री की तुलना में लंबे समय तक पात्र बना रह सकता है, जो तर्क और निष्पक्षता का उल्लंघन करता है।



5. जमानत और मंत्री की दुविधा

एक हिरासत में लिए गए मंत्री के सामने न-जीतने वाली स्थिति होती है:

- पद पर बने रहने से जमानत में देरी हो सकती है, क्योंकि अदालतों को गवाहों पर प्रभाव का डर होता है।
- इस्तीफा देने का मतलब राजनीतिक दोष स्वीकार करना है, भले ही मुकदमा शुरू न हुआ हो।
- चूँकि जमानत के फैसले न्यायिक विवेक के साथ भिन्न होते हैं, इसलिए संशोधन का संचालन असमान और पक्षपातपूर्ण हो सकता है।

6. "रिवॉल्विंग डोर" और राजनीतिक अस्थिरता

रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देने वाला प्रावधान इस्तीफे और बहाली के चक्र को जन्म दे सकता है, जिससे प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा होगी। यह सत्ता की गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए सामरिक गिरफ्तारियों या कानूनी हेरफेर को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे स्थिर शासन कमजोर होगा।

7. कार्यकारी विवेक और राजनीतिकरण

निष्कासन की दोहरी प्रणाली – या तो प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह से या स्वचालित रूप से पद से हटना – संवैधानिक कार्यालयों के राजनीतिकरण का जोखिम उठाती है। एक प्रधानमंत्री सहयोगियों को बचा सकता है या प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बना सकता है, जबकि एक मुख्यमंत्री को पक्षपातपूर्ण आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसा विवेक शक्तियों के पृथक्करण और सहकारी संघवाद के सिद्धांत को खतरा देता है।

8. सुरक्षा उपायों की कमी और दुरुपयोग की उच्च क्षमता

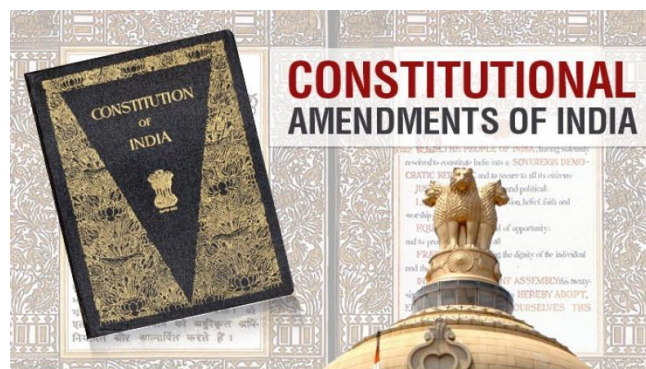
यदि गिरफ्तारी बाद में दुर्भावनापूर्ण या राजनीतिक रूप से प्रेरित पाई जाती है, तो विधेयक कोई सुरक्षा उपाय या मुआवजा प्रदान नहीं करता है। यह UAPA (1967) और PMLA (2002) जैसे निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग के लिए जगह खोलता है, जहाँ दोषसिद्धि दर बेहद कम रहती है। उदाहरण के लिए, पिछले पाँच वर्षों में लगभग 5,000 ईडी मामलों में से, दोषसिद्धि 10% से कम है, जो दुरुपयोग की उच्च क्षमता को उजागर करता है।

9. संवैधानिक और नैतिक दुविधाएँ

यह विधेयक संवैधानिक नैतिकता, उचित प्रक्रिया और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है:

- क्या दोषसिद्धि के बिना गिरफ्तारी निर्वाचित पद से हटाने को न्यायसंगत ठहरा सकती है?
- क्या कार्यकारी विवेक शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है?
- क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा?

मुख्य दुविधा सार्वजनिक नैतिकता और जवाबदेही को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के साथ मिलाने में निहित है।



आगे की राह (Way Forward)

- **निष्कासन को आरोप तय करने से जोड़ें:** अयोग्यता या निलंबन केवल अदालत द्वारा आरोप तय करने के बाद ही होना चाहिए, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य के न्यायिक सत्यापन को सुनिश्चित करता है और दुरुपयोग को रोकता है।
- **न्यायिक निरीक्षण तंत्र:** किसी भी निष्कासन या निलंबन को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए - अधिमानतः एक उच्च न्यायालय पीठ या स्वतंत्र न्यायाधिकरण द्वारा - ताकि मनमानी या राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई को रोका जा सके।
- **निष्कासन के बजाय अंतरिम निलंबन:** पूर्ण बर्खास्तगी के बजाय, मुकदमे के दौरान मंत्री के कर्तव्यों का अस्थायी निलंबन शासन की निरंतरता को जवाबदेही के साथ संतुलित कर सकता है।
- **समयबद्ध जाँच और मुकदमे:** मंत्रियों से जुड़े आपराधिक जाँच और मुकदमे गति और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा (जैसे 60 दिन) के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।
- **कार्यकारी भूमिका स्पष्ट करें:** राष्ट्रपति या राज्यपाल को संवैधानिक जाँच और संतुलन बनाए रखने के लिए राजनीतिक सलाह पर नहीं, बल्कि सरूती से न्यायिक निष्कर्षों के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- **राजनीतिक दल की जवाबदेही:** दलों को नैतिकता के आंतरिक कोड अपनाने चाहिए, गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सदस्यों को निलंबित करना चाहिए, और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को नामित करने से बचना चाहिए।
- **विधि आयोग की सिफारिश:** उस सुझाव को लागू करें कि पाँच या अधिक वर्षों की सज़ा वाले अपराधों के लिए आरोप तय करना अयोग्यता का एक वैध आधार होना चाहिए - किसी भी कार्रवाई से पहले न्यायिक जाँच सुनिश्चित करना।
- **नियम के रूप में जमानत:** राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए गिरफ्तारी के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जमानत को नियम बनाएँ (जयन्त अपराधों को छोड़कर)।
- **आपराधिक मामलों में तेज़ सुनवाई (Fast-Track):** गिरफ्तारी पर स्वचालित अयोग्यता के बजाय मंत्रियों से जुड़े गंभीर मामलों की तेज़ सुनवाई को प्राथमिकता दें।
- **स्वतंत्र समीक्षा पैनल:** यह आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक या अर्ध-न्यायिक समीक्षा निकाय बनाएँ कि क्या निष्कासन की शर्तें पूरी हुई हैं, जिससे कार्यकारी अतिरेक को रोका जा सके।



निष्कर्ष

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 सार्वजनिक जीवन में विश्वास बहाल करने का एक अच्छी तरह से इरादा किया गया फिर भी कानूनी रूप से नाजुक प्रयास है। जबकि इसका उद्देश्य दागी मंत्रियों को पद धारण करने से रोकना है, इसका वर्तमान स्वरूप उचित प्रक्रिया, संघीय सिद्धांतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा पहुँचा सकता है।

जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर याद दिलाया है, "जमानत नियम है, जेल अपवाद है" - और विस्तार से, न्याय दंड से पहले होना चाहिए।

इसलिए, संसद को इस संशोधन को परिष्कृत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नैतिक शासन और संवैधानिक न्याय हाथ से हाथ चले, राजनीति में अखंडता और व्यक्तिगत अधिकारों दोनों की रक्षा हो सके।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164, और 239AA में संशोधन करना चाहता है।
2. यह प्रावधान करता है कि यदि किसी मंत्री को पाँच वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, तो वह स्वचालित रूप से पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
3. निष्कासन का प्रावधान केवल केंद्रीय मंत्रियों पर लागू होता है, राज्य मंत्रियों पर नहीं।

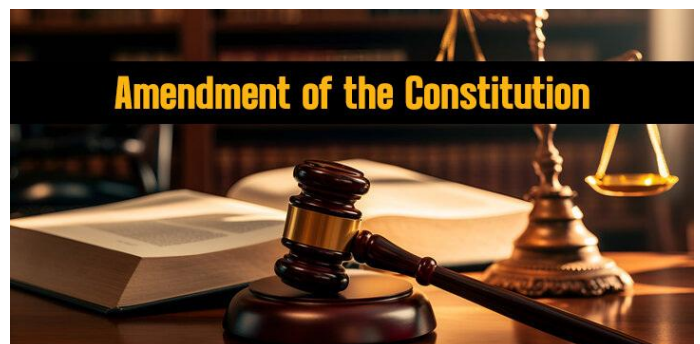
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या: संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य शासन में जवाबदेही और नैतिकता को सुदृढ़ करना है।

- यह अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्री), 164 (राज्य मंत्री) और 239AA (दिल्ली के मंत्री) में संशोधन करता है।
- इसके तहत, यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा योग्य अपराध) के लिए लगातार 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।
- यह प्रावधान केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली) — सभी मंत्रियों पर लागू होगा।
- इसलिए, कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है क्योंकि यह केवल केंद्रीय मंत्रियों तक सीमित नहीं है।



मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, लगातार 30 दिनों तक हिंसासत में रखे गए मंत्रियों को अयोग्य घोषित करके राजनीतिक जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास करता है। हालाँकि, आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कमज़ोर कर सकता है। इस प्रस्तावित संशोधन के संवैधानिक, कानूनी और नैतिक आयामों पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक नैतिकता और कार्यपालिका के अतिक्रमण से सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। (250 शब्द, 15 अंक)

IAS-PCS Institute



Result Mitra

रिजल्ट का साथी



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806



www.resultmitra.com